अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की छाछठवीं (66वीं) बैठक सुश्री रीता तेवतिया, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 27 अगस्त, 2015 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची (अनुबंध 1) के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 66.1: औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) महादेवपुरा एवं कग्गाडासपुरा, केआर पुरम, ह्वाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 2 जुलाई, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) **ब्रुक फील्ड कुंडलहल्ली, होबली कृष्णराजपुरम गांव, तालुक बंगलौर, दक्षिण, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 31 मार्च, 2015 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स ब्रुक बांड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 मार्च, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) आदित्यपुर, जमशेदपुर में आटोमोबाइल्स / आटो कंपोनेंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जून, 2015 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एथारिटी का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अग्रेतर विस्तार के लिए प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है और विचार विमर्श के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।

(iv) गोपालपुर, गंजम जिला, उड़ीसा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 दिसंबर, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने तथा विकासक का नाम
बदलकर टाटा स्टील स्पेशन इकोनॉमिक जोन लिमिटेड करने के लिए मैसर्स गोपालपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 17 दिसंबर 2015 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई तथा विकासक को इस समय सीमा के अंदर उड़ीसा सरकार के साथ सभी लंबित मामलों का समाधान करना चाहिए।

(v) जीआईडीसी**,** पनोली औद्योगिक संपदा**,** पनोली**,** जिला भड़ूच**,** गुजरात में फर्मास्युटिकल एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **16** जून**, 2015** के बाद पुन**:** बढ़ाने के लिए मैसर्स एचबीएस फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 16 जून, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vi) गांधीनगर - सरखेज हाइवे, गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 06 जनवरी, 2015 के बाद एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 6 जनवरी, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vii) ओगनज गांव, दसक्रोई तालुक, अहमदाबाद जिला**,** गुजरात में आईटी **/** आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **06** मई**, 2015** के बाद पुन**:** बढ़ाने के लिए मैसर्स कैलिका कंस्टक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 6 मई, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(viii) सलेम, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 07 मई, 2015 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 मई, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ix) होसुर - विश्वनाथपुरम, तमिलनाडु में आईटी **/** आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **7** मई**, 2015** के बाद पुन**:** बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु **(**एलकॉट**)** का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 मई, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(x) गंगैकोंडन गांव, तिरुनेलवेली**,** तमिलनाडु में आईटी **/** आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **7** मई**, 2015** के बाद पुन**:** बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 मई, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xi) बड़ापलांजी गांव, मदुरै, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 7 मई, 2015 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 मई, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xii) द्रोणगिरी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2015 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 29 जनवरी 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि इस शर्त के साथ बढ़ाई थी कि विकासक इस समय सीमा के अंदर एसईजेड की स्पष्ट विकास योजना एवं कार्य योजना तथा महाराष्ट्र सरकार से अनुमोदन प्रस्तुत करेगा। विकास आयुक्त, नवी मुंबई एसईजेड को जमीनी स्तर पर अब तक हुई प्रगति के साथ इस एसईजेड के विकास के लिए विकासक द्वारा किए गए व्यय का सत्यापन करने का निदेश दिया गया।

(xiii) कालंबोली, नवी मुंबई**,** महाराष्ट्र में आईटी **/** आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि **25** जुलाई**, 2015** के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 25 जनवरी 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि इस शर्त के साथ बढ़ाई थी कि विकासक इस समय सीमा के अंदर एसईजेड की स्पष्ट विकास योजना एवं कार्य योजना तथा महाराष्ट्र सरकार से अनुमोदन प्रस्तुत करेगा। विकास आयुक्त, नवी मुंबई एसईजेड को जमीनी स्तर पर अब तक हुई प्रगति के साथ इस एसईजेड के विकास के लिए विकासक द्वारा किए गए व्यय का सत्यापन करने का निदेश दिया गया।

(xiv) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में मल्टी सर्विसेज के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2015 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 25 जनवरी 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि इस शर्त के साथ बढ़ाई थी कि विकासक इस समय सीमा के अंदर एसईजेड की स्पष्ट विकास योजना एवं कार्य योजना तथा महाराष्ट्र सरकार से अनुमोदन प्रस्तुत करेगा। विकास आयुक्त, नवी मुंबई एसईजेड को जमीनी स्तर पर अब तक हुई प्रगति के साथ इस एसईजेड के विकास के लिए विकासक द्वारा किए गए व्यय का सत्यापन करने का निदेश दिया गया।

(xv) प्लाट नंबर 1-4 (जो औपचारिक रूप से भूखंड योग्य भूमि संख्या पीएल-23 के नाम से विख्यात है), आईटी पार्क बुटिबोरी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स सुयोग रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 29 जुलाई, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xvi) ग्राम मामिडीपल्ली, टूप्रण मंडल, जिला मेडक, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 जुलाई, 2015 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स शांता बायोटेक्निक्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 21 जुलाई, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 66.2: सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) सौरार तहसील, छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2015 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 573.806 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है जिससे बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए 500 हेक्टेयर की न्यूनतम भूमि संबंधी आवश्यकता पूरी होती है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 29 जनवरी 2016 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई और विकासक को 573.806 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड की अधिसूचना के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी।

मद संख्या 66.3 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 5 जनवरी, 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बीईएमएल लिमिटेड जो केआईएडीबी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5 जनवरी, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(ii) 22 जुलाई 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स वेस्टर्न घाट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (वैपको) जो कक्कनचेरी, मलप्पुरम जिला, केरल में कृषि आधारित खाद्य् प्रसंस्करण के लिए किनफ्रा के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 जुलाई, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) 15 अगस्त, 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पिडिलाइट इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, भड़ूच की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 अगस्त, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(iv) 9 जून, 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स श्री साईंबाबा पेट्रोलियम जो केएएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 दिसंबर, 2015 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(v) 31 मार्च, 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हैंगर्स प्लस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अपैरल एवं फैशन असेसरीज एसईजेड, की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 मार्च, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vi) 1 फरवरी 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सोंकोया सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में आईटी/आईटीईएस के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 1 फरवरी, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vii) 27 जुलाई 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड जो नागपुर, महाराष्ट्र में मिहान बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 27 जुलाई, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(viii) 4 जुलाई**, 2015** के बाद उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अर्ट्ररा फर्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड जो चित्तूर जिला**,** आंध्र प्रदेश में मैसर्स श्री साईं सिटी के एसईजेड की एक यूनिट है**,** का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 4 जुलाई, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(ix) 28 जून 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम मेहरुमखुर्द एवं चावर्धल, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ में मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 जून, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

(x) 28 सितंबर, 2015 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स शांता बायोटेक्नीक्स लिमिटेड जो मुप्पीरेड्डीपल्ली गांव, तूपरन मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स बायोटेक्नीक्स लिमिटेड के एसईजेड में यूनिट 1 है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 28 सितंबर, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(xi) 31 मार्च**, 2015** के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अडानी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड जो मुंद्रा**,** गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड एसईजेड द्वारा विकसित बहुत उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध
विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 मार्च, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

मद संख्या 66.4 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(क) अनुमोदन बोर्ड की 65वीं बैठक में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन सह विकासक के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया जिसमें यह प्रावधान है कि पट्टा अवधि को घटाकर अधिकतम 30 वर्ष किया जाए जो नवीकरणीय होगा।

अनुमोदन बोर्ड ने केरल सरकार से प्राप्त संदर्भ पर चर्चा की जिसमें यह कहा गया है कि केरल सरकार अपनी नीति के अनुसार 90 साल की अवधि के लिए औद्योगिक प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा पर देती है और पट्टा करार में परिकल्पित पट्टा अवधि को जारी रखने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि केरल सरकार के उपक्रम टेक्नोपार्क, इनफोपार्क, साइबरपार्क तथा केरल स्टेट आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में विकासक हैं और विचार विमर्श के बाद विकासक एवं सह विकासक के बीच हस्ताक्षरित पट्टा करार के अनुसार पट्टा अवधि को बहाल करने का निर्णय लिया। तथापि, यह केवल केरल राज्य में स्थित एसईजेड परियोजनाओं के संबंध में लागू होगा और सभी अन्य मामलों में नवीकरणीय पट्टा अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

<u>सह विकासक के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन</u>

सह विकासक के लिए सभी प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है। एजेंडा में सूचीबद्ध प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड के निर्णय इस प्रकार हैं :

(i) कक्कानाड गांव**,** जिला एर्नाकुलम**,** केरल में मैसर्स स्मार्ट सिटी कोच्चि इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी **/** आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स थेफ्रा टेक्नोपार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 6.28 एकड़ के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एवं आईटी / आईटीईएस के लिए सहायक सुविधाओं जैसे कि फूड कोर्ट, मनोरंजन की सुविधाओं, फिटनेस की सुविधाओं, बिजनेस सेंटर आदि के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स थेफ्रा टेक्नोपार्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(ii) ग्राम अटिप्रा, तालुक एवं जिला तिरुवनंतपुरम**,** केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स **-** केरल द्वारा आईटी **/** आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स वर्टस आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एक एकड़ के क्षेत्रफल में आईटी सेक्टर के उद्योग के विकास तथा अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स वर्टस आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(iii) मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन 1.015 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विद्युतीकरण / डीजी पावर बैकअप / वातानुकूलन एवं वार्म शेल का काम पूरा करने के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iv) ग्राम पुथेंक्रुज एवं कुन्नाथुनाडू, तालुक कुन्नाथुनाडू, एर्नाकुलम, केरल में मैसर्स इनफोपार्क्स (चरण **2)** द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पडियथ इनोवेशनवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 4.11 एकड़ के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास तथा विपणन के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स पडियथ इनोवेशनवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(v) कांडला एसईजेड के एफटीडब्ल्यूजेड में मैसर्स वर्ल्ड विंडो इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए सह विकासक के दर्जे को निरस्त करने के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कांडला एसईजेड ने एफटीडब्ल्यूजेड के मैसर्स वर्ल्ड विंडो इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सह विकासक के दर्जे को निरस्त कर दिया तथा विकास आयुक्त, केएएसईजेड को परियोजना के गैर कार्यान्वयन के लिए मैसर्स वर्ल्ड विंडो इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करने का निदेश दिया।

(vi) मैसर्स एएमआरएल हाइटेक सिटी लिमिटेड द्वारा नंगूनेरी, तिरुनेवेली जिला, तमिलनाडु में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स आश्रय लाजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में सह विकासक करार दिनांक 6 मई 2015 जिसे बाद में सह विकासक करार दिनांक 26 जून 2015 के माध्यम से पहली बार संशोधित किया गया जिसमें क्षेत्रफल बढ़ाकर 10.49 हेक्टेयर किया गया है, 9 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वेयरहाउसिंग की सुविधाओं सहित लाजिस्टिक्स पार्क के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स आश्रय लाजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(vii) प्लॉट नंबर **21,** सेक्टर टेक जोन**-4,** ग्रेटर नोएडा**,** उत्तर प्रदेश में मैसर्स अर्थ इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी **/** आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ट्रस्टन वेगमैन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर सहित आईएफएससी तथा आईटी / आईटीईएस के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में 0.4450 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लगभग 38000 वर्गफीट के एक टॉवर के निर्माण के लिए मैसर्स ट्रस्टन वेगमैन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(viii) मैसर्स वोकहार्ड्ट इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शेंद्रे**,** औरंगाबाद जिला**,** महाराष्ट्र में फर्मास्युटिकल के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स वोकहार्ड्ट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने परस्पर करार तथा विकास आयुक्त, एसईईपीजेड की सिफारिश के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 77000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में विश्व स्तरीय स्कूल के निर्माण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लिए सह विकासक के दर्जा के लिए मैसर्स वोकहार्ड्ट लिमिटेड के निम्नलिखित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की :

(i) फर्मास्युटिकल एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में स्कूल स्थापित करने के लिए लगभग 16000 वर्गमीटर तक निर्मित क्षेत्र में वृद्धि; और
(ii) राज्य सरकार से एनओसी के अधीन गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसंरचना (स्कूल) का दोहरा प्रयोग।

अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि सह विकासक वाणिज्य विभाग के अधिसूचना जीएसआर 5 (ई) दिनांक 2 जनवरी 2015 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करेगा। अनुपालन रिपोर्ट इस संबंध में वसूल की गई ड्यूटी के साथ निर्यात संवर्धन महानिदेशक को प्रस्तुत की जाएगी। यह अनुमोदन एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन भी अधीन है, बशर्ते कि नवीकरणीय पट्टा अवधि को घटाकर अधिकतम 30 वर्ष किया जाए।

(ix) भुवनेश्वसर**,** ओडिशा में आईटी **/** आईटीईएस के लिए मैसर्स उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (इडको) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 26 एकड़ के क्षेत्रफल में साइट विकास, चारदीवारी, सड़क, जलापूर्ति एवं स्वच्छता तथा सीवेज सिस्टम स्थापित

करने, विद्युत वितरण सिस्टम, दूरसंचार सुविधाएं, एयरकंडिशनिंग सिस्टम, वेयरहाउस, प्राथमिक उपचार केन्द्र तथा क्रेच सहित कल्याण केन्द्र एवं कर्मचारी व्यवसाय प्रवास सुविधाएं, कैफेटीरिया, ईंधन भंडारण, साफ्टवेयर विकास / कार्यालय भवन तथा अन्य गतिविधि जो प्रसंस्करण क्षेत्र में अपेक्षित हो सकती है, के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

मद संख्या 66.5 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) ग्राम कंजेहाड़ा और मस्तेमऊ**,** चक गजरिया फार्म्स**,** सुल्तानपुर रोड**,** लखनऊ में 40.469 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी **/** आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एचसीएल आईटी सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 16 जून, 2015 के माध्यम से प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 40.469 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम कंजेहाड़ा और मस्तेमऊ, चक गजरिया फार्म्स, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स एचसीएल आईटी सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) कामन-भिवंडी रोड, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 60.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए मैसर्स नार्थ मुंबई इंटरनेशनल कमोडिटी टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने पत्र दिनांक 12 मई, 2015 के माध्यम से अपने सैद्धांतिक अनुमोदन से अवगत कराया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कामन - भिवंडी रोड, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 60.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नार्थ मुंबई इंटरनेशनल कमोडिटी टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के प्रसताव को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपर्युक्त पत्र दिनांक 12 मई, 2015 के माध्यम से लगाई गई शर्तों के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) गेट नंबर **31** (बी)**,** ग्राम इलथन**,** एयरोली**,** थाणे बेलापुर रोड थाणे**,** नवी मुंबई में **2.48** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी **/** आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स रिलायबल एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

पत्र 20 अगस्त, 2015 के माध्यम से मैसर्स रिलायबल एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान की। संबंधित विकास आयुक्त मैसर्स रिलायबल एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त आवेदन पर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

(iv) जी-4/1, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, घंसोली, नवी मुंबई में 6.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स लोमा आईटी पार्क डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 12 मई, 2015 के माध्यम से प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 6.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जी-4/1, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, घंसोली, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लोमा आईटी पार्क डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) ग्राम नानक्रामगुडा**,** सेरिलिंगमपल्ली मंडल**,** रंगारेड्डी जिला**,** तेलंगाना में **1.0504** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी **/** आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स मंत्री डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तेलंगाना सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2015 के माध्यम से प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नानक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 1.0504 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स मंत्री डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vi) रायदुर्ग गांव**,** सेरिलिंगमपल्ली मंडल**,** रंगारेड्डी जिला**,** तेलंगाना में **1.85** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी **/** आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स अक्वा स्पेस डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। तेलंगाना सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 01 अगस्त, 2015 के माध्यम से प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने रायदुर्ग गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 1.85 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अक्वा स्पेस डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 66.6 : अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुष्टि के लिए मामले

(i) 12 जून **2015** के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लुपिन लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है**,** का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 12 जून, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 66.7 : विविध मामले

(i) दाहेज एसईजेड में विद्युत परियोजना के लिए दाहेज **2** आरडब्ल्यूएसआर से दाहेज **1** आरडब्ल्यूएसआर के निकट अपनी मौजूदा पाइप लाइन तक **813** एमएम व्यास की एमएस रा वाटर सप्लाई पाइप लाइन बिछाने के लिए मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड जो दाहेज एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने दाहेज एसईजेड में विद्युत परियोजना के लिए दाहेज 2 आरडब्ल्यूएसआर से दाहेज 1 आरडब्ल्यूएसआर के निकट अपनी मौजूदा पाइप लाइन तक 813 एमएम व्यास की एमएस रा वाटर सप्लाई पाइप लाइन बिछाने के लिए मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड (दाहेज एसईजेड में सह विकासक) के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि ड्यूटी लाभ केवल एसईजेड के अंदर संचालित गतिविधियों के लिए उपलब्ध होगा।

(ii) 38.04 हेक्टेयर के अधिसूचित क्षेत्रफल में से **17.62** हेक्टेयर के क्षेत्रफल को हैदराबाद में परिधान क्षेत्र के लिए एसईजेड के चरण **2** को विमुक्त करने के लिए अनुरोध **-** नियमावली में संशोधन

अनुमोदन बोर्ड ने टेक्सटाइल तथा टेक्सटाइल की वस्तुओं के लिए गुजरात राज्य के लिए क्रमांक 3 में अनुबंध 2 में क्षेत्रफल की न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता के संबंध में एसईजेड नियमावली 2006 में संशोधन को नोट किया जो अधिसूचना दिनांक 16 जुलाई 2015 के माध्यम से 38 हेक्टेयर से घटाकर 20 हेक्टेयर कर दिया गया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक द्वारा प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभ, यदि कोई हो, के रिफंड तथा राज्य सरकार से एनओसी के अधीन 38.04 हेक्टेयर के अधिसूचित क्षेत्र में से 17.62 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अहमदाबाद में परिधान क्षेत्र के लिए एसईजेड के दूसरे फेज को विमुक्त करने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड जो ग्राम उतुकुली, एरोड जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की क्षमता 40 मेगावाट से बढ़ाकर 48 मेगावाट करने के लिए मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथा लागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	विद्युत परियोजना की क्षमता 40 मेगावाट से बढ़ाकर 48 मेगावाट करना	2	20 एकड़

(iv) विकासक का नाम अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड से बदलकर अर्शिया लिमिटेड करने और शेयरहोल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन करने के लिए पुणे, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड के लिए मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विकासक का नाम अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड से बदलकर अर्शिया लिमिटेड करने तथा शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन करने के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
(vii) विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(v) एमआरओ बिल्डिंग में वाहनों के आपातकालीन प्रवेश के लिए एक क्रैश गेट लगाने के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए मैसर्स जीएमआर एयरो टेक्नीक लिमिटेड जो मामिडीपल्ली गांव, शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मौजूदा एयरपोर्ट में मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एमआरओ बिल्डिंग में आपातकाली वाहन प्रवेश के लिए क्रैश गेट स्थापित करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड की यूनिट मैसर्स जीएमआर एयरो टेक्नीक लिमिटेड के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की कि नए गेट की रखवाली के लिए अतिरिक्त जनशक्ति पर व्यय विकासक द्वारा वहन किया जाएगा।

(vi) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स टीएसआई बिजनेस पार्क्स (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड जो ननक्रमगुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में आईटी /

आईटीईएस के लिए मैसर्स एपीआईआईसी लिमिटेड के **क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है,** का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए सह विकासक के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(vii) मैसर्स सिरमा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो चेन्नई में एसईजेड यूनिट है, के संबंध में 3 अप्रैल 2014 को आयोजित अपनी 61वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जा चुके औद्योगिक लाइसेंस के लिए मदों की अनुमोदित सूची में सिमुलेटर को शामिल करना

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने रक्षा मंत्रालय / गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस के लिए मदों की अनुमोदित सूची में सिमुलेटर को शामिल करने के लिए मैसर्स सिरमा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 66.8 : औपचारिक अनुमोदनों को निरस्त करना

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन / अधिसूचना के निरसन के लिए एजेंडा के 3 मामलों की जांच की। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक द्वारा की गई प्रगति संतोषप्रद नहीं है।

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित 3 मामलों में यथास्थिति औपचारिक अनुमोदन / अधिसूचना को निरस्त करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन इस बात के अधीन है कि विकास आयुक्त निर्धारित प्रपत्र में यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत सेवा कर छूट, यदि कोई हो, सहित कोई कर / शुल्क लाभ प्राप्त नहीं किया है अथवा प्राप्त किए गए ऐसे किसी लाभ को वापस कर दिया है।

क्रम संख्या	विकासक / सह विकासक का नाम	क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन की तारीख	क्षेत्र
1.	मैसर्स एमएम टेक टावर्स (कोजेनचेरी, पटनमथिट्टा, केरल)	आईटी / आईटीईएस	18 जून, 2009	सीएसईजेड
2.	मैसर्स एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड (ईसीई हाउस, 28 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली)	आईटी संबद्ध एसईजेड	18 जून, 2009	सीएसईजेड
3.	मैसर्स हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (न्यूजप्रिंट नगर, जिला कोट्टायम, केरल)	लुग्दी एवं कागज	18 नवंबर, 2009	सीएसईजेड

मद संख्या 66.9 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 मई 2015 के विरुद्ध मैसर्स जिंदल इंटरनेशनल की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता के साझेदार श्री सत्येन के व्यास की दलीलों को सुना।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट के साझेदारों के बीच विवाद के कारण 2010 से यूनिट कोई प्रचालन नहीं कर सकी। अनुमोदन बोर्ड ने यह नोट किया कि उक्त कंपनी के विरुद्ध 46,27,002 रुपए का रेंट बकाया है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने यूनिट को केएएसईजेड में व्यवसाय की सामान्य गतिविधियां इस शर्त के साथ शुरू करने का निदेश दिया कि उनको 30 दिन के अंदर 50 प्रतिशत बकाया किराए तथा 6 माह के अंदर शेष एरियर का भुगतान करना होगा।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि परिसर उस अवधि के लिए अपीलकर्ता के कब्जे में बना रहा है जिसके लिए किराए का भुगतान नहीं किया गया है, 29 मई 2015 को विकास आयुक्त, कांडला द्वारा पारित आदेश उचित एवं सही है। आवेदक को विकास आयुक्त, केएएसईजेड के निर्देशों के अनुसार अपने देयों को क्लियर करना चाहिए। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

(ii) 23 जून 2015 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध मैसर्स कनवर्ज नेटवर्क सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 1 की अपील

एवं

(ii) 23 जून 2015 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध मैसर्स कनवर्ज नेटवर्क सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 2 की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता यूनिट के श्री संजीव कुमार गोयल, निदेशक (वित्त) की बात सुनी।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अपीलकर्ता ने नियम 19 (2) के तीसरे परंतुक के अंतर्गत मैसर्स एमडोक्स डवलपमेंट सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अपनी उपर्युक्त यूनिट (1 एवं 2) ट्रांसफर करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि नियम 19 (2) नियम 74 ए के प्रावधानों के अधीन है।

चूंकि अपीलकर्ता कंपनी नियम 74ए के प्रावधानों अर्थात अंतरण की तिथि को 5 साल की अवधि के लिए एलओए का धारक होने तथा अंतरण की तिथि को उत्पादन आरंभ होने के बाद दो साल की न्यूनतम अवधि के लिए क्रियाशील होने की शर्त को पूरा नहीं करती है, इसलिए अनुमोदन बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 जून 2015 उचित एवं सही है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

(iv) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक **20** मई **2015** के विरुद्ध मैसर्स सोयुज ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने उक्त मैसर्स सोयुज ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के उप महाप्रबंधक की बात सुनी तथा विचार विमर्श के बाद नोट किया कि प्रबंध परामर्श सेवाएं नियम 76 में "अन्य सेवाओं" के अंदर शामिल हैं। इन निष्कर्षों के साथ अनुमोदन बोर्ड ने आवेदक के व्यवसाय माडल तथा अन्य संगत ब्यौरों की जांच के बाद उपयुक्त निर्णय के लिए यूएसी के पास मामले को वापस भेज दिया।

(v) विकास आयुक्त**,** एनएसईजेड द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक **10** अप्रैल **2015** के विरुद्ध मैसर्स पीतांबरा हार्डवेयर एंड मेटल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने उक्त यूनिट के निदेशक श्री सुनील कुमार मंगल की दलीलें सुनी।

अनुमोदन बोर्ड ने मामले पर विचार किया तथा नोट किया कि मैसर्स पितांबरा का एलओए 23 अप्रैल 2013 को समाप्त हो चुका है। इसके अलावा, 2010-11 से अपीलकर्ता निष्क्रिय पड़ा था।

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि यूनिट के अनुरोध पर, अनुमोदन समिति ने उनको एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 74 के अनुसरण में एसईजेड स्कीम से बाहर निकलने की अनुमति प्रदान की थी। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि अनुमोदन समिति ने प्लाट नंबर 166, 168 और 169 को निरस्त कर दिया है तथा यूनिट को उक्त प्लाटों का कब्जा यथाशीघ्र सौंपने की सलाह दी।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा :

(i) प्लाटों का आवंटन निरस्त करने का अनुमोदन समिति का निर्णय सही है क्योंकि यूनिट का एलओए 23 अप्रैल 2013 को समाप्त हो चुका है तथा पहले पांच वर्षों के दौरान यूनिट का निष्पादन शून्य है।

(ii) अपीलकर्ता ने नियम 74ए के तहत परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अंतरण के लिए भी अनुमोदन बोर्ड से अनुरोध किया है और यह नियम 74ए (1) की शर्तों को पूरा नहीं करता है क्योंकि एलओए मान्य नहीं है।

अत: अनुमोदन बोर्ड ने अपील अस्वीकार कर दी और अपीलकर्ता को निकास की औपचारिकताएं पूरी करने तथा एनएसईजेड प्राधिकरण को प्लाट सरेंडर करने का निदेश दिया।

(vi) विकास आयुक्त**,** एनएसईजेड द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक **10** अप्रैल **2015** के विरुद्ध मैसर्स एटरास्टार हार्डवेयर एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने उक्त यूनिट के निदेशक श्री सुनील कुमार मंगल की दलीलें सुनी कि यह यूनिट 5 साल से अधिक समय से मान्य एलओए का धारक है और कई वर्षों तक निर्यात किया है तथा इस प्रकार अंतरण द्वारा एसईजेड से बाहर निकलने के लिए पात्र है।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट के अनुरोध पर, अनुमोदन समिति ने उनको एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 74 के अनुसरण में एसईजेड स्कीम से बाहर निकलने की अनुमति प्रदान की थी। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि अनुमोदन समिति ने प्लाट नंबर 166, 168 और 169 को निरस्त कर दिया है तथा यूनिट को उक्त प्लाटों का कब्जा यथाशीघ्र सौंपने की सलाह दी।

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि यह अपीलकर्ता के इस अनुरोध पर था कि अनुमोदन समिति ने इस संबंध में संगत औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन एसईजेड स्कीम से बाहर निकलने के लिए उसे अनुमति प्रदान की।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा :

(i) प्लाट का आवंटन निरस्त करने का अनुमोदन समिति का निर्णय सही है क्योंकि यूनिट का एलओए 28 अप्रैल 2001 को (ट्रेडिंग यूनिट) और 8 अगस्त 2012 को (विनिर्माण यूनिट) समाप्त हो गया है तथा उन्होंने एलओए की वैधता अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं किया है।

(ii) अपीलकर्ता ने नियम 74ए के तहत परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अंतरण के लिए अनुमोदन बोर्ड से अनुरोध किया है और निम्नलिखित कारणों से यह नियम 74ए की शर्तों को पूरा नहीं करता है :

1. इस समय एलओए वैध नहीं है।
2. यूनिट पांच साल की अवधि तक मान्य मंजूरी पत्र का धारक नहीं थी।

3. उत्पादन आरंभ होने के बाद यूनिट अंतरण की तिथि को न्यूनतम 2 साल की अवधि के लिए यूनिट प्रचालन में नहीं रही है।

अत: अनुमोदन बोर्ड ने अपील अस्वीकार कर दी और अपीलकर्ता को निकास की औपचारिकताएं पूरी करने तथा एनएसईजेड प्राधिकरण को प्लाट सरेंडर करने का निदेश दिया।

(vii) विकास आयुक्त**,** एनएसईजेड द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक **22** अप्रैल **2015** के विरुद्ध मैसर्स एस एस ट्रेडर्स की अपील

निजी सुनवाई के लिए यूनिट का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उपर्युक्त यूनिट का एलओए 31 मार्च 2013 को समाप्त हो गया है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि अस्तित्व में आने के बाद यूनिट ने कोई भौतिक निर्यात नहीं किया है और पट्टा किराया का भुगतान नहीं कर रही है।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट की अपील को अस्वीकार कर दिया।

(viii) विकास आयुक्त**,** एनएसईजेड द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक **16** अप्रैल **2015** के विरुद्ध मैसर्स भारतीय इंडस्ट्रीज की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता यूनिट के प्रोपराइटर श्री बलबीर सिंह की दलीलों को सुना।

अनुमोदन बोर्ड ने मामले पर विचार किया तथा नोट किया कि मैसर्स भारतीय इंडस्ट्रीज को (1) लेदर हार्ड गुड्स, लेदर फर्नीचर, लेदर एंड आयरन असेसरीज (2) लकड़ी, ग्लास, आयरन, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम या किसी अन्य मेटल से बनी वस्तुओं के विनिर्माण के लिए 12 अक्टूबर 2006 को एलओए जारी किया गया है। यूनिट ने 19 नवंबर 2007 से प्रचालन शुरू किया तथा एलओए 18 नवंबर 2012 तक वैध था। अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि निष्पादन की निगरानी करते हुए 18 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में यूएसी ने यूनिट को एलओए की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व अर्थात 18 नवंबर 2012 तक निर्यात की गतिविधियां पुन: शुरू करने का निदेश दिया तथा ऐसा न होने पर उनका एलओए नवीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि, यूनिट ने न तो उपर्युक्त निर्देशों का पालन किया और न ही एलओए के नवीकरण के लिए आवेदन किया। इसके अलावा यूनिट के विरुद्ध 978431 रुपए का पट्टा किराया बकाया है। अनुमोदन बोर्ड ने 2007-08 से 2010-11 की अवधि के दौरान यूनिट के निराशाजनक निष्पादन को नोट किया।

अनुमोदन बोर्ड ने माना कि एलओए तथा प्लाटों का आवंटन निरस्त करने का अनुमोदन समिति का निर्णय सही है क्योंकि यूनिट का एलओए 18 नवंबर 2012 को समाप्त हो चुका है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान यूनिट का निष्पादन निराशाजनक है।

अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता द्वारा किए गए प्रतिवादों को उचित नहीं पाया और इसलिए अपील अस्वीकार कर दी।

(ix) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 25 नवंबर, 2014 के विरुद्ध मैसर्स गारमेक्स इंडिया जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

सनदी लेखाकार श्री मनमोहन मलहोत्रा अनुमोदन बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए तथा यूनिट की ओर से दलील दी।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 65वें बीओए के लिए मामला सूचीबद्ध था परंतु चूंकि निजी सुनवाई के लिए अपीलकर्ता से उक्त यूनिट का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट को दूसरा अवसर प्रदान किया था।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 8 मई 2003 को यूनिट को एलओए जारी किया गया तथा यूनिट वर्ष 2010-11 तक क्रियाशील थी और इसके बाद आवंटित प्लाट से कोई व्यवसाय नहीं किया गया। एलओए 10 जनवरी 2014 को समाप्त हो गया तथा 2011-12 से परिसर खाली पड़ा है और यूनिट के विरुद्ध 454977 पट्टा किराया बकाया है।

उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील अस्वीकार कर दी।

(x) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 के विरुद्ध मैसर्स इंडो वाइडकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

श्री मनप्रीत सूद, वकील उपस्थित हुए तथा अपीलकर्ता की ओर से मामले में दलील पेश की।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह अपील 65वें बीओए में सूचीबद्ध थी परंतु चूंकि निजी सुनवाई के लिए अपीलकर्ता का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को दूसरा अवसर प्रदान किया था।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट 2009-10 से निष्क्रिय पड़ी है। एलओए की वैधता अवधि 30 अप्रैल, 2013 को समाप्त हो गई है। 5 वर्षों के पिछले ब्लाक के दौरान यूनिट ने 1.02 लाख रुपए का निर्यात किया है तथा 31 मार्च, 2012 तक केवल 12000 रुपए का एनएफई हासिल किया है। यूनिट ने वार्षिक निष्पादन रिपोर्टें समय से प्रस्तुत नहीं की हैं। 5 नवंबर 2012 की स्थिति के अनुसार यूनिट के विरुद्ध 18,27,758 रुपए का पट्टा किराया बकाया है। इसके अलावा, यूनिट ने संशोधित बांड सह विधिक वचन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और इस प्रकार एलओए / एसईजेड अधिनियम / नियमावली की शर्तों का पालन नहीं कर रही है।

उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सरकारी रिकार्डों से अपीलकर्ता के प्रतिवादों का सत्यापन करने तथा तद्नुसार अपील का निर्णय करने के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड के पास अपील वापस भेज दी।

(xi) मैसर्स एलेनबेरी एग्जिम लिमिटेड द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता में भारत संघ एवं अन्य के विरुद्ध दाखिल की गई रिट याचिका 2622/2014

अपीलकर्ता यूनिट की ओर से श्री महेंद्र पत्री, निदेशक और श्री आर के चौधरी, वकील उपस्थित हुए। अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता यूनिट के निदेशक एवं वकील की दलीलें सुनी।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि निम्नलिखित कारणों से 10 जनवरी 2014 को यूएसी द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर विकास आयुक्त, एफएसईजेड द्वारा 25 फरवरी 2014 को मैसर्स एलेनबेरी एग्जिम लिमिटेड का एलओए निरस्त कर दिया गया।

(i) फर्म किराए का भुगतान नहीं कर रही है तथा इस संबंध में पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।
(ii) फर्म ने किराए का भुगतान करने के संबंध में पहले की गई अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया है।
(iii) फर्म ने 92,93,30,408.01 रुपए की राशि वसूल नहीं की है जो 30 जून 2013 को समाप्त छमाही के लिए उनकी यूनिट के विरुद्ध बकाया है जिसके लिए अलग से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा कार्यवाही चल रही है।

यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित यूनिट ने एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। 24 जुलाई 2014 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 62वीं बैठक में विचार के लिए अपील रखी गई थी तथा मामले की जांच करने तथा अपीलकर्ता को सुनने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

अनुमोदन बोर्ड के निर्णय से व्यथित मैसर्स एलेनबेरी एग्जिम लिमिटेड ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2622/2014 दाखिल की है। अपने आदेश दिनांक 24 फरवरी 2015 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उसकी राय में चूंकि अपील को कोई कारण बताए बगैर एक वाक्य के आदेश द्वारा अस्वीकार किया गया है इसलिए अपील में पारित आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती है और इस प्रकार अपास्त एवं रद्द किया जाता है। तद्नुसार याचिकाकर्ता को एसईजेड के लिए बीओए द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया।

19 मई, 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 65वीं बैठक में अपील पर विचार किया गया। अपीलकर्ता के अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड ने अपनी अगली बैठक तक अपील को आस्थगित करने का निर्णय लिया था।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विशाल बकाया किराया तथा उक्त यूनिट के विरुद्ध 92 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया वसूली के मद्देनजर अनुमोदन बोर्ड की यह राय थी कि विकास आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 25 फरवरी 2014 उचित एवं सही है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने अपील अस्वीकार कर दी।

(xii) सूरत विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक **25** फरवरी **2015** के विरुद्ध मैसर्स सूची स्पेशियलिटी फास्टेनर्स की अपील

विचार विमर्श के बाद अनुम बोर्ड ने निजी सुनवाई का अवसर देने के बाद यूनिट के अनुरोध पर उपयुक्त निर्णय लेने के लिए अपील को विकास आयुक्त के पास वापस भेज दिया।

<u>पूरक एजेंडा पर निर्णय</u>

मद संख्या 66.10 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) सेवाह गांव, जीटी रोड, जिला पानीपत, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 अक्टूबर, 2012 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मित्तल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 23 फरवरी, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) बार्गुर, उठानगरई और पोचमपल्ली तालुक, कृष्णगिरि जिला, तमिलनाडु में ग्रेनाइट प्रसंस्करण उद्योगों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 10 मार्च, 2015 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सिपकॉट) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 10 मार्च, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) चोक्कनहल्ली गांव, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2015 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 29 अक्टूबर, 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 66.11 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम मोटा लयाजा, गोधरा एवं बयाथ, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 मई, 2015 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अवाश लाजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 12 मई, 2016 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) ग्राम मोटा लयाजा, गोधरा एवं बयाथ, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 मई, 2015 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सीलैंड पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 12 मई, 2016 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 66.12 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 2 फरवरी **2015** के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कल्याणी अलस्टोम पावर लिमिटेड जो मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में एपीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 2 फरवरी, 2016 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 66.13 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अडानी फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा औपचारिक अनुमोदन के अधीन तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण पर व्यय पर कोई ड्यूटी लाभ का दावा न करने के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 57 एकड़ के क्षेत्रफल में एक मेगा फूड पार्क एवं संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सह विकासक के दर्जा के लिए मैसर्स अडानी फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग पार्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। यह अनुमोदन एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन भी अधीन है, बशर्ते कि नवीकरणीय पट्टा अवधि को घटाकर अधिकतम 30 वर्ष किया जाए।

(ii) रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, मुंबई का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए प्रारूप पट्टा सह विकास करार के अनुसरण में 300000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में (1) सेवाओं का निर्यात करने के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यालय भवन के अवसंरचना विकास और (2) 200000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में एसईजेड यूनिटों के प्रबंधन,

स्टाफ एवं मजदूरों के लिए गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आवासीय भवन के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iii) अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए मैसर्स एचबीएस सिटी प्राइवेट लिमिटेड जो जीआईडीसी, पनोली औद्योगिक संपदा, पनोली, जिला भड़ूच, गुजरात में मैसर्स एचबीएस फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे फर्मास्युटिकल एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए प्रारूप पूरक सह विकासक करार के अनुसरण में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने, आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों के निर्माण, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य देखरेख, बैंक आदि के लिए गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के 50 एकड़ के अनुमोदित क्षेत्रफल में एसईजेड में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 56 एकड़ के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स एचबीएस सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे सह विकासक का कुल क्षेत्र बढ़कर 106 एकड़ हो जाएगा परंतु यह कि नवीकरणीय पट्टा की अवधि 30 साल से अधिक नहीं होगी।

(iv) कन्यान्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में मैसर्स इनफोपार्क एसईजेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स जियान एयरकंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन मैन्यूफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार मानक शर्तों एवं नियमों के अधीन विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 2.61 एकड़ के क्षेत्रफल में आईटी सेक्टर के उद्योग के विकास तथा अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स जियान एयरकंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन मैन्यूफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

(v) ग्राम महिरी, बुद्रुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बायोटेक के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एसजे कंट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एसईईपीजेड को आवेदक के व्यवसाय माडल को समझने के लिए क्लाइंट के साथ मामले पर चर्चा करने का निदेश दिया। इसलिए प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 66.14 : विविध मामले

(i) शेयर ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स सनमीना एससीआई टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो ओर्गाडम, श्रीपेरंबदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में ट्रेडिंग तथा लाजिस्टिक्स प्रचालन सहित

इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं संबद्ध सहायता सेवाओं के लिए मैसर्स सिपकॉट के क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए सह विकासक के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(ii) नाम बदलकर मैसर्स साइबर पर्ल इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स असेंडास आईटी एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड जो चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड के क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक का नाम मैसर्स असेंडास आईटी एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स साइबर पर्ल इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड करने के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी में परिवर्तन / मर्जर / डिमर्जर, समामेलन या स्वामित्व का अंतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तथा क्षेत्राधिकारीय प्राधिकारी को तत्काल प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण या विलय, डिमर्जर, समामेलन, स्वामित्व के अंतरण आदि से उत्पन्न लाभ / हानि की यथालागू कराधेयता का आकलन करने तथा आयकर अधिनियम 1961 की संगत धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) सह विकासक अपने क्षेत्राधिकारीय कर निर्धारण अधिकारी को पैन का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा तथा उक्त अधिकारी सीबीडीटी को यह ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

(iii) विदेशी क्रेताओं / भारतीय कंपनियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एनएसईजेड, नोएडा में एक नई यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विदेशी क्रेताओं / भारतीय कंपनियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एनएसईजेड, नोएडा में एक नई यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

सारणी एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 66.15 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) मौजा जामनेर और खरासी, तहसील अरवी, जिला वर्धा, महाराष्ट्र में **86.15** हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायो प्लास्टिक या अन्य बायो आधारित या बायोडिग्रेडेबल पर्यावरण हितैषी उत्पादों, फर्मास्युटिकल तथा रसायन सहित जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स वर्धा साखर कारखाना लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 10 अगस्त, 2015 के माध्यम से प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मौजा जामनेर और खरासी, तहसील अरवी, जिला वर्धा, महाराष्ट्र में 86.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बायो प्लास्टिक या अन्य बायो आधारित या बायोडिग्रेडेबल पर्यावरण हितैषी उत्पादों, फर्मास्युटिकल तथा रसायन सहित जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स वर्धा साखर कारखाना लिमिटेड के प्रस्ताव का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन विकासक द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन है :

(i) विकासक ने आंध्रा बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, को भूमि गिरवी रखकर 151.80 करोड़ रुपए का ऋण लिया है तथा केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विकासक द्वारा भूमि को सभी भारग्रस्तता से मुक्त रखा जाना चाहिए।

(ii) विकासक द्वारा प्रस्तुत लैंड लोकेशन लेआउट प्लान यह दर्शाता है कि भूमि (86.15 हेक्टेयर) संस्पर्शी नहीं है। तथापि, विकासक ने पुष्टि की है कि क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल अर्थात 50 हेक्टेयर भूमि संस्पर्शी है। अत: न्यूनतम भूमि की कसौटी के अनुपालन के अधीन 50 हेक्टेयर भूमि की सन्निकटता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(iii) विकासक को औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के क्रय के संबंध में राज्य सरकार के अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

विकासक को औपचारिक अनुमोदन के समय सुनिश्चित करना चाहिए कि :

(i) भूमि विकासक द्वारा सभी भारग्रस्तता से मुक्त हो; और

(ii) संपूर्ण क्षेत्र जिसके लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए, संस्पर्शी होना चाहिए।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

....

अनुबंध 1

वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 27 अगस्त, 2015 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1. श्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, अनुमोदन बोर्ड और वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग
2. श्री जॉन जोसेफ, डीजीईपी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
3. डॉ तेजपाल सिंह, एडीजीईपी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
4. सुश्री दीपशिखा शर्मा, निदेशक (आईटीए-1), सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
5. श्री प्रवीर कुमार, डीजी, डीजीईपी
6. सुश्री अपूर्वा चंद्रा, प्रमुख सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र सरकार
7. श्री के बिस्वाल, संयुक्त सचिव और विधायी वकील, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भारत सरकार
8. श्री डी सी सिंह, उप सचिव, जहाजरानी मंत्रालय
9. श्री पवन कुमार कत्याल, प्रबंध निदेशक, (पीएसआईईसी), पंजाब सरकार
10. श्री ए के मिश्रा, अनुसंधान सहायक टीसीपीओ, शहरी विकास मंत्रालय, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली
11. श्री जकारिया खान यूसुफजई, वरिष्ठ विकास अधिकारी, डीआईपीपी
12. श्री ओ पी शर्मा, संयुक्त औद्योगिक सलाहकार, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग
13. श्री राजेंद्र कुमार तिवारी, प्रधान सचिव, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक, उत्तर प्रदेश सरकार
14. श्री जॉर्जकुट्टी चेरियन, रेजिडेंट आयुक्त का कार्यालय,केरल सरकार
15. श्री सुरेश कुमार दुदानी, सचिव, एआईएडीए, जमशेदपुर, झारखंड सरकार
16. डॉ एस के साहू, उप निदेशक (ईपी), विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
17. श्री ए के धाम, संपर्क अधिकारी, आईडीसीओ, ओडिशा सरकार
18. सुश्री रीना महापात्र, डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर, ओडिशा सरकार

विकास आयुक्तों की सूची

19. श्री एल.बी सिंघल, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड
20. डॉ सफीना एएन, विकास आयुक्त, सीएसईजेड
21. श्री संजीव नंदवानी, विकास आयुक्त, फाल्टा, कोलकाता
22. श्री एन. पी. एस. मोंगा, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड
23. श्री ए के चौधरी, विकास आयुक्त, श्री सिटी एसईजेड
24. श्री उपेंद्र वशिष्ठ, विकास आयुक्त, केएएसईजेड
25. सुश्री सोभना के एस राव, विकास आयुक्त, वीएसईजेड
26. श्री एम के शणमुगा सुंदरम, विकास आयुक्त, एमईपीजेड-एसईजेड
27. श्री के एल शर्मा, विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड, गुजरात
28. श्रीमती लता शुक्ला, विकास आयुक्त, मुंद्रा एसईजेड

29. श्री विजय एन शेवाले, विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड
30. श्री ईश्वर सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड

वाणिज्य विभाग से प्रतिभागियों की सूची

31. डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
32. श्री मधुप व्यास, निदेशक, वाणिज्य विभाग
33. श्री एस एस कुमार, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
34. श्री कविराज साबर, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
35. श्री वी पी राजवेदी, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग
36. श्री के सी बिस्वाल, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग